अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0..... से .....तक

जिला.....सं0.....सन् 16.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3

न्यायालय, उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा

आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0 – 51–120/2012

डेजी रानी/संतोषी देवी – अपीलार्थी

बनाम

रेस्पोण्डेन्ट – राज्य सरकार एवं अन्य

आदेश

प्रश्नगत आँगनबाड़ी अपीलवाद अपीलार्थी द्वारा निम्न न्यायालय सुपौल, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के पारित आदेश ज्ञापांक 1291 दिनांक 29.12.2011 के विरूद्ध हस्तांतरित होकर इस न्यायालय में सुनवाई हेतु प्राप्त हुआ है ।

उक्त अपीलवाद से संबंधित मामला यह है कि आँगनबाड़ी केन्द्र सं0 83, एफ0 सी0 आई0 रोड सिमराही जो राघोपुर परियोजना में है, दिनांक 06.08.2011 को 9:25 मिनट पूर्वाह्न में श्री अख्तर वासीफ सहायक निर्देशक आई0सी0 डी0 एस0 बिहार पटना द्वारा औचक निरक्षण किया गया। निरक्षण के क्रम में निम्न अनियमितताए पाई गई।

1. केन्द्र के बाहर बॉर्ड नहीं लगाया गया है ।
2. 9:25 मिनट तक केन्द्र पर कोई बच्चा उपस्थित नहीं पाया गया।
3. केन्द्र 6 फीट x 8 फीट के कमरे में चलता है । इतने छोटे कमरे में केन्द्र नहीं चलाया जा सकता है ।
4. लाभुक को T.H.R. कम मात्रा में वितरण किया गया है। वहाँ उपस्थित श्रीमती सीता देवी पति राम चन्द्र दास ने जाँच पदाधिकारी को बताया कि उनका पौता किशन एवं काजल केन्द्र पर पंजीकृत लाभुक है। उन्हें प्रतिमाह एक किलों चावल एवं 1/2 किलो दाल मिलता है।

केन्द्र संचालन संबंधी उपरोक्त अनियमितताओं के कारण जाँच पदाधिकारी

द्वारा ज्ञापांक 2093 दिनांक 17.08.11 द्वारा इस केन्द्र की सेविका तथा सहायिका को चयन मुक्त करने की अनुशंसा की गई। तदनुसार अनुशंशा के आलोक में निर्देशक आई0सी0डी0एस0 बिहारा पटना द्वारा भी अपने पत्रांक 2149 दिनांक 24. 08.2011 के द्वारा सेविका/सहायिका को चयन मुक्त करने का निर्देश दिया गया है।

उपरोक्त अनियमितताओं के आरोप में निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के द्वारा ज्ञापांक 981 दिनांक 22.09.2011 द्वारा सेविका श्रीमती डेजी रानी तथा सहायिका श्रीमती संतोषी देवी से उन पर लगे आरोप के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गई।

डेजी रानी ने अपना स्पष्टीकरण में यह अंकित किया कि निरीक्षण के दिन एवं समय पर मैं एवं सहायिका केन्द्र पर उपस्थित थी एवं सहायिका केन्द्र की साफ–सफाई कर पंजी कृत लाभुक बच्चों को उनके घर से लाने गई थी उन्होंने यह भी बतलाया कि केन्द्र पर कूट का बोर्ड लगा था जो बरसात के कारण थोड़ा सा धुमिल हो गया था। निरीक्षण के समय 7 बच्चे केन्द्र पर आ गए थे जबकि निरीक्षी पदाधिकारी ने शून्य बच्चे की संख्या दर्ज किए एवं अन्य शेष बच्चे को लाने सहायिका उनके घर गई थी। उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में लगाए गए आरोपों को खारीज किया कि केन्द्र पर T.H.R का वितरण निर्धारित मात्रा में दिया जाता है, निरीक्षी पदाधिकारी के समक्ष एक लाभुक श्री रामकुमार दास ने जो ब्यान दिए हैं वह सत्य नहीं है। T.H.R वितरण दिवस को निर्धारित मात्रा का अनाज आरोपी श्री रामकुमार दास की पत्नी को पूर्ण मात्रा में दिया गया है। इस संबंध में आरोपी की पत्नी सीता देवी ने शपथ पत्र के माध्यम से बयान दिए हैं कि मेरे पोता को 2 1/2 Kg चावल एवं 1 Kg 250 ग्राम दाल मिला है, जिसे मैंने प्राप्त किया है।
स्पष्टीकरण समर्पित करने के उपरान्त भी जिला, प्रोग्राम पदाधिकारी ने केन्द्र की सेविका एवं सहायिका को उनके अभ्यावेदन/अपील को नजर अंदाज करते हुए चयन मुक्ति का आदेश निर्गत किए। इस संबंध में अपीलार्थी श्रीमती डेजी रानी सेविका के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिहार पटना ने एक अपील दायर किया गया जो C.W.J.C NO.- 3263/12 है। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा अपने रिट याचिका के साथ संयुक्त रूप से आदेश पारित करते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के चयन मुक्ति आदेश को निरस्त करते हुए नियमानुकूल कार्यवाही करने हेतु कहा गया। माननीय न्यायालय द्वारा C.W.J.C NO.- 3263/12 व अन्य रीट याचिका में एक साथ ही पारित संयुक्त आदेश का उदाहरण देते हुए सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी बिहार पटना को यह भी निर्देश दिए कि Respondent नियमानुसार मुखर आदेश पारित करेंगें, जिनमें निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखने को कहा गया। सेविका को सुनवाई का मौका दिया जाय।

1. सेविका को सुनवाई का मौका दिया जायेगा।
2. राज्य स्तरीय जाँच प्रतिवेदन की एक प्रति सेविकाको उपलब्ध कराई जायगी।
3. सेविका के पक्ष को सुना जाएगा।
4. जाँच प्रतिवेदन तथा इसके साथ एकत्रित किए गए साक्ष्यों को परखा जाएगा।
5. तत्पश्चात् सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर नियमानुकूल यथोचित

मुखर आदेश पारित किया जाएगा।

माननीय न्यायालय में दायर C.W.J.C. NO. 3263/2012 डेजी रानी व अन्य, C.W.J.C. NO. 2905/2012, C.W.J.C. NO. 3477/2012 व अन्य में जिसके तहत माननीय न्यायालय ने एक साथ पारित निर्णय में सभी दायर मामले को Setaside करते हुए निर्णय निर्गत किए थे एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी को निम्नलिखित प्रकियाओं का अनुपालन करते हुए एक मुखर आदेश पारित करने हेतु निर्देश दिए थे जिसके आलोक में पुनः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल ने लगभग एक ही तरह के आरोप के तहत दो वादों में C.W.J.C. NO. 2905/2012, C.W.J.C. NO. 3477/2012 में सेविका को आरोपों से मुक्त कर आदेश का अनुपालन किया गया किन्तु डेजी रानी बनाम राज्य C.W.J.C. NO. 3263/2012 जो कि लगभग उन दोनों वादों से लगभग मिलते–जुलते आरोप है। इस वाद में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश को बरकरार रखा। एक ही तरह के मामले में विभिन्न आदेश त्रुटिपूर्ण है, उचित नहीं है।

उपरोक्त अंकित बातों की परिपेक्ष में इस न्यायालय में अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा सारे कागजात एवं साक्ष्य रखा गया उनके द्वारा यह बतलाया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश का पूर्णतः पालन नहीं किया गया है निम्न न्यायालय सुपौल का आदेश एक ही तरह के मामले एवं आरोप के संदर्भ में भेद भाव एवं पूर्वाग्रह से ग्रसित एवं वाह्य जनित कारणों Extraneous reasons से प्रेरित है जो नियमतः उचित नहीं है जब लगभग समान आरोप व अनियमितता बरतने का आरोप है तो एक को पुनः चेतावनी देकर पुनः कार्य पर बहाल करने का आदेश, तो दूसरे को कड़े दण्ड वह भी पद से हटाने का, यह पूर्णतः नैसर्गिक न्याय का उलंघन है जबकि सेविका द्वारा अपने स्पष्टीकरण में यह बतलाया गया कि केन्द्र का संचालन नियमित रूप से किया जाता है तथा मेरे केन्द्र के बारे में पिछला क्रियाकलाप भी अच्छा व संतोष प्रद है निरक्षण टिप्पणी एवं T.H.R. वितरण में कही कोई आरोप नहीं लगें है तो सिर्फ एक दिन के लिए अनियमितता आरोप लगाकर चयन से मुक्त करना कोई न्याय उचित बातें नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपने सुनवाई के कम में अनुमंडल पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन जो उन्होंने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी राघोपुर सुपौल के द्वारा काराये गए थे जिसने C.D.P.O. राघोपुर ने यह भी अंकित किए है पूर्व में भी चयन मुक्ति के प्रश्नगत केन्द्र के सेविका एवं सहायिका का क्रियाकलाप अच्छा रहा है केन्द्र पर प्रायः 30–35 बच्चें प्रतिदिन पोषाहार (गीला राशन) ग्रहण करते है अवलोकन कराया गया उन्होंने अपने प्रतिवेदन में यह भी अंकित किये हैं केन्द्र की सेविका डेजी रानी एवं सहायिका संतोषी देवी को पुनः एक मौका दिया जाना चाहिए।

उपरोक्त वर्णित बातों के आलोक में यह न्यायालय इस निस्कर्ष पर पहुँचा कि जिला प्रोग्राम पदधिकारी सुपौल का आदेश ज्ञापांक 1291 दिनांक 29.12.2011 का आदेश पक्ष– पात पूर्ण तथा एक समान नहीं है। इस आदेश को यह न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के आदेश ज्ञापांक 1291 दिनांक 29.12.2011 को निरस्त करती है एवं प्रश्नगत केन्द्र की सेविका डेजी रानी/एवं

सहायिका संतोषी देवी को चेतावनी देकर पुनः प्रश्नगत केन्द्र पर सेविका/सहायिका के रूप में कार्य करने का मौका प्रदान करती है, साथ ही उस परियोजना के सी0डी0पी0ओ0/महिला पर्यवेक्षिका को निर्देश देती है कि प्रश्नगत केन्द्र पर समय–समय पर औचक निरीक्षण करती रहें जिससे केन्द्र का संचालन नियमित एवं गुणवता पूर्ण तरीके से हो सके। साथ ही अपीलार्थी को सलाह दिया जाता है कि वे कर्त्तव्य का निर्वहन Seriously एवं Responsibility तरीके से करें।

लेखापित एवं संशोधित

19/9/2014.

उप निदेशक, कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा

19/9/2014.

उप निदेशक, कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा